विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

(1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

यह योजना उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 से लागू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए निजी उद्यमियों को ऋण एवं राज सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः–

1– बस/टैक्सी जैसी परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए उनके क्रय एवं संचालन हेतु।

2– यात्रा मार्गों एवं पर्यटक स्थलों पर फास्ट फूड सेन्टर की स्थापना।

3– मोटर वर्कशाप/गैराजों की स्थापना।

4– छोटी–छोटी मोटलनुमा 8–10 कक्षीय आवासीय इकाईयों का निर्माणं

5– टैन्टेज आवासीय सुविधाओं की स्थापना।

6– स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र।

7– पी0सी0ओ0 सुविधायुक्त पर्यटक सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट का निर्माण।

8– साहसिक पर्यटन के क्रिया कलापों हेतु उपकरणों की व्यवस्था।

9– साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्रों का विकास।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उद्यमियों के चयन में निम्न प्रकार आरक्षण की सुविधा का भी प्राविधान किया गया हैः–

1– अनुसूचित जाति– 16 प्रतिशत

2– अनुसूचित जनजाति– 4 प्रतिशत

3– अन्य पिछड़ी जाति– 14 प्रतिशत

4– भूतपूर्व सैनिक–2 प्रतिशत (होरिजेन्टल)

योजना का आकार एवं वित्त पोषण

इस योजना के अन्तर्गत रू0 15.00 लाख तक की लागत वाली छोटी–छोटी योजनाओं को ऋण एवं राज सहायता दिलाकर प्रोत्साहन दिया जाता है। योजना लागत में 12.5 प्रतिशत उद्यमी तथा शेष 87.5 प्रतिशत बैंक ऋण की हिस्सेदारी होती है। राज सहायता धनराशि योजना लागत के 25 प्रतिशत या रू0. 3.75 लाख,

इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। यह धनराशि सम्बन्धित उद्यमी (लाभार्थी) के नाम सम्बन्धित ऋण दाता बैंक में चालू खाता खोलकर रखी जायेगी। जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिए जाने वाले ब्याज की गणना की जायेगी।

चयन प्रक्रिया

योजना के अन्तर्गत उद्यमियों का चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3–	जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक	सदस्य
4–	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5–	नाबार्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
6–	परिवहन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
7–	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी	

सदस्य/सचिव

यह समिति जनपद में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि हेतु कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी।

जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ हो उन्हें उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं का दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगर पालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र (परिशिष्ट–क) प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदन पत्र को उचित ढंग से भरने व उसके साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों के विवरण की समस्त जानकारी आवेदक को देने का दायित्व सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी का होगा। जांचोपरांत उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर

चयन किया जायेगा। चयन समिति द्वारा कम से कम प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक अवश्यक निर्धारित कर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। आवेदकों को आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय/जिला स्तरीय कार्यालयों से वर्ष पर्यनत निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेगे। योजना विवरण पुस्तिका रू0 5.00 की दर से उपलब्ध कराई जायेगी किन्तु योजना के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से इच्छित संख्या में विवरण पुस्तिकायें जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भी दी जा सकेगी।

राजकीय सहायता दिये जाने सम्बन्धी अन्य शर्ते

राजकीय सहायता का भुगतान गठित समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर एक मुश्त राशि के रूप में योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक शाखा जहां से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है को यथासम्भव एक माह के भीतर सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा के बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

राजकीय सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रयोजन

योजना विवरण पुस्तिका में इंगित योजनाओं के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। जिला स्तर समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा। इससे सम्मलित करने हेतु अपने संस्तुति के साथ उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रकीर्ण

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित करना एवं अधिक से अधिक अच्छी पर्यटन इकाईयों को सृजित करना है। अतः योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। योजना के प्रचार–प्रसार हेतु पर्याप्त योजना पुस्तिकायें जिला उद्योग केन्द्रों, खण्ड विकास अधिकारियों एवं गढवाल व कुमायूं मण्डल विकास निगमों द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

अर्हतायें

आवेदक की पात्रता के लिए निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित की गई हैः–

1– वह उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो।

2– जहां प्रस्तावित योजना हेतु भूमि अपेक्षित हो वहां आवेदक उसका विधिमान्य भू स्वामी हो अथवा उक्त भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम हो (ऐसी स्थिति में उक्त भूमि प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बंधक स्वरूप स्वीकार की जायेगी, लेकिन यदि भू–स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती

के रूप में सहभागी बने तो अनुदान धनराशि केवल आवेदक को देयक होगी) पट्टे की भूमि पर भी योजना का लाभ मिलेगा वशर्ते पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो।

3– वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।

4– पर्यटन की किसी विधा में तकनिकी ज्ञान अथवा पर्यटन में डिप्लोमा अथवा डिग्री धारक को वरीयता दी जायेगी।

5– योजना के अधीन चिन्हित व्यवसायों में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदकों को भी वरीयता दी जायेगी।

6– योजना के अन्तर्गत पर्यटक ग्राम विकास हेतु उद्यमी समूह को (जो एक ही ग्राम में भिन्न–भिन्न प्रयोजन के लिए आवेदन करेंगे) वरीयता दी जायेगी।

योजना हेतु अन्य प्रोत्साहन/छूट

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त योजना में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनकी भूमि पर बैंक के पक्ष में बंधक रखने हेतु पंजीकृत विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत की छूट दी गई है।

किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये पर्यटन विभाग/उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् में विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रक्रिया हैः–

1– शासन स्तर पर

(1) शासन द्वारा परिषद् के लिये समय–समय पर नियम–विनियम दिशा–निर्देश आदि जारी किये जा सकते है।

(2) राज्य सरकार परिषद् के लिये वार्षिक आय–व्ययक अथवा नियमानुसार अनुपूरक मांगों को सम्पूर्ण रूप से अथवा संशोधित जो भी उपयुक्त हो पर अनुमोदन प्रदान करेगी।

(3) यदि राज्य सरकार की राय में परिषद् इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों को संचालित करने में विफल हो गई है अथवा किसी भी अन्य कारण से परिषद् को आगे चलना सम्भव नहीं है ऐसी दशा में गजट में अधिसूचना के माध्यम से परिषद् के विघटन की अधिसूचना जारी कर सकती है तथा अधिसूचना में उल्लिखित तिथि से परिषद् का विघटन माना जायेगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार परिषद के सु–संचालन हेतु नियम विहित कर सकेगी।

(5) परिषद् में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में शासन की अनुमति आवश्यक होगी।

(6) परिषद् में निहित कोष एवं अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित मानी जायेगी। इसलिये इनके सम्बन्ध में कोई निर्णय शासन से अनुमति के बाद ही लिया जा सकता है।

1– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, मुख्यालय

(1) शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिये परिषद् अधिनस्थ कार्यालयों हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करती है।

(2) परिषद् की बैठक में प्रस्तुत सुझावों/प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निर्णय लेना अधीनस्थ कार्यालयों के प्राप्त प्रस्तावों पर परिषद् मुख्यालय निर्णय लेता है तथा नीति विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाते है।

2– मण्डल स्तर

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीन साहसिक पर्यटन के विकास/प्रोत्साहन के लिये मण्डल स्तर पर दोंनों मण्डलों में एक–एक कार्यालय क्रमशः अल्मोडा व उत्तरकाशी में स्थापित है जो साहसिक कार्यो के प्रशिक्षण हेतु अधिकृत है तथा अपने–अपने मण्डल के जनपदों में कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लेते है और तद्नुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर क्रियान्वयन करते है लेकिन उनके क्रियाकलापों हेतु योजना का गठन मूलतः जनपदवार सम्बन्धित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा जन प्रतिनिधियों की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन होने के बाद परिषद् मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है। परिषद् तद्ोपरान्त योजना प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करती है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना का क्रियान्वयन मण्डल स्तर पर विशेष कार्याधिकारियों द्वारा किया जाता है।

3– जनपद स्तर पर

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा राज्य के प्रत्येक जनपद में एक–एक जनपद स्तरीय कार्यालय स्थापित किया गया है जो शासन की नीतियों के अधीन प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों पर योजनायें तैयार करने का कार्य करते है और योजनाओं का सम्बन्धित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदन कराकर शासन की स्वीकृति हेतु परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करते है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर के इन अधिकारियों को निम्न प्रकार निर्णय लेने का भी अधिकार हैः–

(1) कार्यालय में स्थापित सूचना पटल पर आने वाले पर्यटकों की आवाभगत करने एवं विनम्रतापूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर देने हेतु स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार है।

(2) जनपद में कौन स्थल पर्यटन योग्य है और उसके विकास हेतु क्या–क्या किया जाना है इसका निर्धारण जिला पर्यटन विकास अधिकारी करते है और तद्नुसार योजना प्रस्ताव तैयार करते है।

(3) जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में वे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का प्रतिनिधित्व करते हुये बैठक की कार्यवाही में अपने विवेक से परिषद् की नीतियों के अन्तर्गत निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है।

(4) वित्तीय कार्यो के लिये वे नियमानुसार व्ययों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करते है। इस सम्बन्ध में उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नही है।

किसी विषय पर निर्णय लेने के निर्धारित नियम :–

(1) नीति विषयक किसी भी मामले में प्रस्ताव केवल शासन को प्रेषित किया जा सकता है और उस पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार शासन का है।

(2) वित्तीय स्वीकृतियों का निर्णय भी शासन स्तर से लिया जाता है परिषद् केवल आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग कर सकती है।

(3) शासन से निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्णय उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा लिया जाता है तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तद्नुसार निर्देश जारी किये जाते है।

(4) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के विभिन्न क्रिया कलापों के प्रचार–प्रसार हेतु परिषद् मुख्यालय ही निर्धारित करता है कि प्रचार–प्रसार किन–किन माध्यमों से कब और कैसे किया जायेगा।

(5) परिषद् के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थनान्तरण, सेवा समाप्ति आदि विषयों पर निर्णय परिषद् स्तर पर लिये जाते है।

(6) अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अवकाश आदि स्वीकृत करने की व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न है जैसे– जिला स्तर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी अपने अधीनस्त कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लेता है।

(7) आहरण वितरण अधिकारी अधीनस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के उपार्जित एवं चिकित्सा अवकाश को स्वीकृत करने का निर्णय निर्धारित सीमा अर्थात 42 दिन तक ले सकता है। इससे अधिक अवकाश के लिये आवेदन पत्र उनके द्वारा परिषद् मुख्यालय को भेजा जाता है।

लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने की व्यवस्था :–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् में विभिन्न विषयों पर लिये गये अन्तिम निर्णयों को जनता तक पहुॅचाने की निम्न व्यवस्था हैः–

(1) विभिन्न सूचना माध्यमों के द्वारा प्रचार–प्रसार करके जिनमें समाचार–पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन, रेडियों टी0वी0 के माध्यम से प्रसारित करवाकर।

(2) परिषद् द्वारा स्वयं पुस्तक, पुस्तिकाओं का प्रकाशन द्वारा विभिन्न अवसरों पर आयोजित बैठकों/प्रदर्शनियों/सेमिनारों/गोष्ठियों में वितरण करके।

(3) सार्वजनिक आयोजनों के अवसरों पर अर्थात् मेलों आदि के अवसर पर विभागीय प्रदर्शनी आयोजित कर निर्णयों को (कार्यक्रमों को) जनता तक पहुॅचाने की व्यवस्था है।

(4) पर्यटकों की सूचनार्थ पर्यटन साहित्य के प्रकाशन का निर्णय साहित्य, मानचित्र, पोस्टर आदि प्रकाशित कर उसके वितरण की व्यवस्था विभिन्न सूचना पटों पर और पुस्तकालय में की जाती है।

निर्णय लेने में विभिन्न स्तर के निम्न अधिकारियों की संस्तुति/राय ली जाती है :–

(1) विभिन्न जिला मुख्यालयों पर तैनात जिला पर्यटन विकास अधिकारियों की संस्तुति।

(2) जिलाधिकारियों की संस्तुति।

(3) मण्डल स्तर पर तैयात अधिकारियों की संस्तुति।

(4) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के सम्बन्धित विषयक अधिकारियों की संस्तुति।

(5) शासन स्तर पर निर्णय हेतु अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संस्तुति

अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी :–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत है। शासन स्तर पर निर्णय लेने के लिये पर्यटन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव पर्यटन प्राधिकृत अधिकारी है।

मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है :

(1) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के विभिन्न व्ययों के लिये शासन स्तर से वित्त व्यवस्था कराने सम्बन्धी।

(2) विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने एवं उनपर वित्तीय स्वीकृति शासन से प्राप्त करने सम्बधी।

दिशा निर्देश :

विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के लिये शासन द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते है जिनके आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किये जाते है जैसे– योजनाओं का प्रारूप जिसमें विगत वर्षो के प्रस्ताव और उपलब्धि, प्रस्तावों का वर्गीकरण, विभिन्न कार्यो हेतु धनराशि का निर्धारण, शासन की नीति के अनुसार आरक्षित वर्गो हेतु योजना परिव्यय का निर्धारण एवं विगत वर्षो में उपलब्धि आदि के लिये स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जाते है और इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया :

विकास योजनाओं पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं से विकास सम्बन्धी सुझाव जिला स्तर पर आमंत्रित किये जाते है। तद्पोरान्त शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्दर वरीयता क्रम में उन सुझावों को प्रस्तावित कर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और जिलाधिकारी के माध्यम से विभागों के मुख्यालयों को प्रेषित किया जाता है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा इस प्रकार प्राप्त अनुमोदित कार्यो के लिये आगणन गठित कर प्रस्ताव के साथ शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिये प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में परिषद् के जिला पर्यटन विकास अधिकारी, सम्बन्धित जिलाधिकारी, परिषद् मुख्यालय में उप निदेशक पर्यटन, संयुक्त निदेशक पर्यटन, वित्त नियंत्रक, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्तिम निर्णय के रूप में स्वीकृति प्रदान करने वाले सचिव/प्रमुख सचिव पर्यटन सम्मलित है।

सम्मिलित अधिकारियों की सम्पर्क सूचना :

उपरोक्त अधिकारी अपने तैनाती स्थल स्थित अपने कार्यालयों में उपलब्ध है।

निर्णय के विरूद्ध अपील :

निर्णय के विरूद्ध अपील, उत्तराखण्ड शासन से की जा सकती है।

विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन किये जाने वाला पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम

विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण का कार्य निम्नलिखित कार्यक्रमों में किया जाता हैः–

1– वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना– इस योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार प्रस्तावित योजना का मौके पर निरीक्षण एवं परीक्षण

करते है और तदोपरान्त अपनी आख्या के साथ प्रस्तावित योजना को जिला समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करते है।

2– पेइंग गेस्ट योजना– इस योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार पंजीकरण हेतु प्रस्तुत योजना का मौके पर निरीक्षण एवं परीक्षण करते है तथा मानकों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर अपनी संस्तुति के साथ जिला समिति के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करते है और अनुमोदन के उपरान्त पेईंग गेस्ट आवास पंजीकरण करते हुये प्रमाण पत्र जारी करते है।

3– रिवर राफ्टिंग हेतु लाईसेन्स उपलब्ध कराना– इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन परिषद मुख्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी रिवर राफ्टिंग कम्पनियों को लाइसेन्स देने के निमित राफ्टिंग साइट पर जाकर सम्बन्धित कम्पनियों के कैम्प तथा राफ्टिंग उपकरणों का निरीक्षण एवं परीक्षण करते है और मानकों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर लाइसेन्स देने की संस्तुति करते है।

4– जिला सेक्टर योजना– जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा गठित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निम्न प्रकार निर्णय लिया जाता हैः–

1– जिला पर्यटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष के लिए पर्यटक स्थलों का चयन किया जायेगा। चयनित स्थलों के पर्यटन विकास अथवा सौन्दर्यीकरण के लिए प्रस्ताव सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारियों द्वारा उक्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे। इन चयनित स्थलों के विकास हेतु पहुंच मार्ग का सुधर/पैदल मार्गों का सुधार/पार्किंग स्थलों का विकास, जन सुविधाओं का विकास/प्रसाधन सुविधाओं का विकास/स्नानघाटों का निर्माण/विकास, पेयजल के अन्तग्रत स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण/हैंड पम्प की स्थापना, विद्युतीकरण/लाइटिंग लैम्पपोस्ट/हाई मास्ट की व्यवस्था, साइनेजेज की स्थापना, हैरिटेज बिल्डिंग/सोविनियर शाप/फोटोग्राफी/रेस्टोरेन्ट निर्माण/बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क/व्यू प्वाइंट/पर्यटन स्वागत केन्द्र, प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन हेतु सड़क मार्गो व पैदल मार्गों पर व्यू प्वाइंट का निर्माण। चयनित स्थलों के सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत यात्री शेड/रेन शेल्टर का निर्माण, बैठने हेतु बैंच, चबूतरे, छतरी आदि का निर्माण, प्रवेश द्वार का निर्माण, फर्श निर्माण, बाउण्ड्रीवाल/फेंसिग का कार्य, साइनेजेज।

योजना हेतु शर्ते–

1– परियोजना की अधिकतम लागत रू0 20.00 लाख तक होगी।

2– परियोजना की स्थापना सार्वजनिक भूमि पर हो व परियोजना लोक सम्पत्ति मानी जायेगी।

3– परियोजना का कार्य 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

4– परियोजना के चयन में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जायेगा।

5– परियोजना के कार्यों को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति में प्रस्तुत करने के पूर्व जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था भूमि की उपलब्धता, संचालन/रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे।

6– परिव्यय के सापेक्ष जिला समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को कार्य के आगणन व प्रस्ताव एक माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेंगे।

7– नये तथा चालू योजनाओं के लिए कार्यदार्यी संस्था की मांग के अनुरूप जिला समिति के माध्यम से परियोजनावार परिव्यय निर्धारित करवाया जाय।

8– चालू कार्यों के लिए कार्य की प्रगति के अनुसार धनराशि अनुमोदित की जायेगी। 75 प्रतिशत से अधिक कार्यवाली योजना हेतु सर्वप्रथम तथा 50 से 75 तक प्रगति वाली योजना हेतु उसके पश्यचात तथा अन्ततः 25 से 50 प्रतिशत की योजना हेतु धन की व्यवस्था रखी जाय।

9– प्रस्तावित परियोजनाओं की उपयोगिता एवं उसका पर्यटन गमनागमन में अनुकूल प्रभाव से सम्बन्धित औचित्य योजनाओं के आगणन में प्रस्तुत किया जाय।

10– सभी परियोजनाओं के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वे व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक हित से सम्बन्धित हों।

11– मंदिरों के सौन्दर्यीकरण आदि के प्रस्तावों पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगे कि सम्बन्धित मंदिर/भवन पुरातत्व के अन्तर्गत आरक्षित न हो व उन पर पुरातत्व सम्बन्धी अधिनियम लागू न हो।

12– जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता हो उनके लिये प्रथम किस्त के रूप में रू0 1000.00 टोकन मनी की ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत करवाई जाये ताकि भूमि हस्तान्तरण के समय योजना की स्वीकृति में बाधा उत्पन्न न हो एवं जब औपचारिक रूप से भूमि हस्तान्तरण विभाग के पक्ष में हो जाय तब भुगतान अन्य योजनाओं की भांति इन योजनाओं में भी किया जायेगा।

13– जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति होगी उनके भूमि हस्तान्तरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण इकाई की होगी।

14– निर्माण इकाईयों का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 452 XXVII (1)/2005 दिनांक 5 अप्रैल, 2005 के अनुसार किया जायेगा।

15– प्रत्येक कार्य में समय–समय पर हुई प्रगति के कम से कम 3 स्तरों (प्रारम्भिक स्थिति, मध्य स्थिति, कार्य पूर्ण होने की स्थिति) पर फोटोग्राफ्स।

16– आगणन उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शैडयुल आफ रेट के अनुसार तैयार किये जायेगे जिनमें अनुमोदित दरें सम्मिलित हों। आगणन में लम्ब–सम्ब प्राविधान अपरिहार्य परिस्थितियों में ही रखे जाये।

17– स्वीकृत योजनाओं के डिजायन/मानचित्र आदि पर सक्षम अधिकारियों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व कार्यदाई संस्थाओं का होगा जिसके लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण :–

साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विनिश्चिय की प्रक्रिया निम्नवत हैः–

1– साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कराने का दायित्व विशेश कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन/जिला साहसिक खेल अधिकारियों एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारियों का होगा।

2– जिला पर्यटन विकास अधिकारी साहसिक पर्यटन कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक जनपद हेतु परिव्यय जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति से अनुमोदित करायेगें।

3– साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित धनराशि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के माध्यम से सीधे जिलाधिकारियों को अवमुक्त की जायेगी।

4– जिला योजनाओं के अन्तर्गत साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण के लिए पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम जिला समिति से अनुमोदत कराया जाय तथा भौतिक लक्ष्य भी निर्धारित कराये जाय।

5– साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित उपकरणों का क्रय भी किया जा सकता है।

राज्य सेक्टर योजनाओं का चयन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया

शासन/विभिन्न स्तरों से उक्त योजना के प्रस्ताव प्राप्त किये जा सकते है। परिषद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण व संस्तुति निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जायेगी।

1– रू0 10.00 लाख से 100.00 लाख तक के प्रस्तावों का निम्नलिखित समिति द्वारा परीक्षण व संस्तुति की जायेगीः–

1–	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद–	अध्यक्ष
2–	निदेशक, (अवस्थापना, निवेश व नियोजन) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	सदस्य
3–	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4–	वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	सदस्य

5– संयुक्त निदेशक पर्यटन (योजना)

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद सदस्य/सचिव

आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी को भी बुलाया जा सकता है।

2– रू0 1 करोड से उपर के प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति द्वारा योजनाओं का परीक्षण व संस्तुति किया जायेगा।

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड

पर्यटन विकास परिषद– अध्यक्ष

2– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सदस्य

3– अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड

पर्यटन विकास परिषद सदस्य/सचिव

आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ को भी बुला जा सकता है।

प्रक्रियाः

1– रू0 10.00 लाख से 100.00 लाख तक की योजनायें धन स्वीकृति के पश्चात सामान्यतः एक वर्ष से डेढ़ वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण कराने का लक्ष्य होगा।

2– रू0 1 करोड से 5 करोड तक की योजनायें धन स्वीकृति के पश्चात सामान्यतः दो के अन्तर्गत पूर्ण कराने का लक्ष्य होगा।

3– रू0 5 करोड तक की योजनायें धन स्वीकृति की पश्चात सामान्यतः तीन के अन्तर्गत पूर्ण कराने का लक्ष्य होगा।

4– योजनाओं की प्रगति व जटिलताओं को देखते हुए सतिति समय सीमा निर्धारित करेगी।

5– संस्तुत योजनाओं पर अन्तिम निर्णय मा. पर्यटन मंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

उपरोक्त मानकों के आधार पर एक साल एडवांस प्लानिंग हो ताकि स्वीकृत वर्ष के पूर्व वर्ष में ही माह दिसम्बर तक सभी आगणन प्रस्ताव प्राप्त हो जाय।

शासकीय पर्यटक आवास गृहों/होटलों के संचालन की प्रक्रियाः–

पर्यटन विभाग द्वारा विभागीय पर्यटक आवास गृहो/होटलों के संचालन हेतु शासन से प्राप्त आदेशों के अनुसार निर्णय लिया गया था। इनका संचालन गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमॉऊ मण्डल विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा। तदानुसार गढ़वाल मण्डल स्थित विभागीय पर्यटक आवास गृहों/होटलों को लीज पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम को तथा कुमाँऊ मण्डल स्थित विभागीय पर्यटक आवास गृहों/होटलों को कुमाँऊ मण्डल विकास निगम को हस्तांतरित किया गया। लीज के अनुसार दोनों निगम

पर्यटन विभाग को इन आवास गृहों/होटलों से प्राप्त शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत भुगतान करेंगे। भविष्य में क्रमशः निर्मित होने वाले पर्यटक आवास गृहो/होटल भी इसी प्रकार लीज पर हस्तांतरित होते रहेंगे। पर्यटक आवास गृहो/होटलों का रख–रखाव का दायित्व इन्हीं निगमों का होगा। यही नीति उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा भी अपनायी गयी है। लीज पर उपलब्ध कराये गये पर्यटक आवास गृहों/होटलों का विवरण संलग्न है।

कुमाऊँ मण्डल

क्र.स.	आवासीय इकाई का नाम	शैयाओं की संख्या
वन विभाग नैनीताल		
1–	लॉग केबिन नैनापीक (नैनीताल)	4
कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित		
1–	पर्यटक लॉज, काठगोदाम (नैनीताल)	8
2–	पर्यटक आवास गृह, काशीपुर (नैनीताल)	8
3–	स्वागत केन्द्र, मल्लीताल (नैनीताल)	76
4–	पर्यटक आवास गृह, भीमताल (नैनीताल)	34
5–	पर्यटक आवास गृह, साततताल (नैनीताल)	10
6–	पर्यटक आवास गृह, तल्लीताल (नैनीताल)	64
7–	पर्यटक आवास गृह, रामनगर (नैनीताल)	26
8–	पर्यटक आवास गृह, रानीखेत (अल्मोडा)	52
9–	होली–डे–होम, अल्मोडा	76
10–	पर्यटक आवास गृह, कौसानी (अल्मोडा)	104
11–	पर्यटक आवास गृह, लोहारखेत (बागेश्वर)	4
12–	पर्यटक आवास गृह, धांकुरी (बागेश्वर)	4
13–	पर्यटक आवास गृह, खाती (बागेश्वर)	4
14–	पर्यटक आवास गृह, फुरकिया (बागेश्वर)	4
15–	पर्यटक विश्राम गृह, पिथौरागढ़	24
16–	पर्यटक आवास गृह, लोहाघाट (चम्पावत)	20
17–	पर्यटक आवास गृह, चम्पावत	20
18–	पर्यटक आवास गृह, चौकाडी	16
19–	पर्यटक आवास गृह, द्वाली (बागेश्वर)	4
20–	पर्यटक आवास गृह, जागेश्वर (अल्मोडा)	30
21–	पर्यटक आवास गृह, टनकपुर (चम्पावत)	30
22–	पर्यटक आवास गृह, नानकमत्ता (उद्यमसिंह नगर)	30
23–	पर्यटक आवास गृह, भवाली (नैनीताल)	30
24–	टूरिस्ट डारमैट्री (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग)	16
25–	टूरिस्ट डारमैट्री (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग)	16
26–	टूरिस्ट डारमैट्री जिप्ती (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग)	16
27–	पर्यटक आवास गृह, पूर्णागिरी (चम्पावत)	100

28–	पर्यटक डारमैट्री (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग)	20
29–	पर्यटक डारमैट्री, बुद्धि (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग)	56
30–	पर्यटक डारमैट्री, सूखाताल (नैनीताल)	8
31–	पर्यटक आवास गृह, रामनगर का विस्तार	40
32–	पर्यटक आवास गृह, तल्लीताल (नैनीताल)	60
33–	पर्यटक आवास गृह, मुक्तेश्वर (नैनीताल)	60
34–	पर्यटक आवास गृह, टनकपुर द्वितीय फेज	16
35–	पर्यटक आवास गृह, चिनियानौला	40
36–	पर्यटक आवास गृह, बागेश्वर	4
37–	पर्यटक आवास गृह, बैजनाथ (बागेश्वर)	4
38–	पर्यटक आवास गृह, डीडीहाट (पिथौरागढ़)	4
39–	मार्गीय सुविधा, कोसी (अल्मोडा)	4
40–	मार्गीय सुविधा, कालाढूगी (नैनीताल)	4
41–	मार्गीय सुविधा, विर्थी (पिथौरागढ)	4
42–	मार्गीय सुविधा, दन्या (अल्मोडा)	4
43–	मार्गीय सुविधा, रामगढ़ (नैनीताल)	4
44–	पर्यटन आवास गृह, मुन्स्यारी (पिथौरागढ़)	44
45–	पर्यटक आवास गृह, पांगू (पिथौरागढ)	20
46–	पर्यटक आवास गृह, कौसानी का विस्तार	20
47–	पर्यटक काटेज, चौकोड़ी (पिथौरागढ़)	20
48–	एफ0आर0पी0 हट्स, पांगू (पिथौरागढ़)	20
49–	एफ0आर0पी0 हट्स, कालापानी (पिथौरागढ़)	20
50–	एफ0आर0पी0 हट्स, नवीढांग (पिथौरागढ़)	20
51–	एफ0आर0पी0 हट्स, जौलीकांग (पिथौरागढ़)	20
52–	पर्यटक आवास गृह, कौसानी का विस्तार (अल्मोड़ा)	20
53–	एफ0आर0पी0 हट्स, श्यामलाताल	10
54–	पर्यटक आवास गृह पाताल भुवनेश्वर	10
55–	पर्यटक अतिथि गृह जागेश्वर	10
	योग 55 इकाईयां	1562 शैयायें

गढवाल मण्डल

क्र.स.	आवासीय इकाई का नाम	शैयाओं की संख्या
गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित		
1–	पर्यटक आवास गृह, श्रीनगर (नया)	206
2–	पर्यटक आवास गृह, श्रीनगर (पुराना)	
3–	पर्यटक आवास गृह, कोटद्वार (पौड़ी)	20
4–	पर्यटक आवास गृह, देवप्रयाग (टिहरी)	32
5–	पर्यटक आवास गृह, चीला (पौड़ी)	25
6–	पर्यटक आवास गृह, ज्वालपाधाम (पौड़ी)	4
7–	पर्यटक आवास गृह, (पौड़ी)	38

8–	पर्यटक आवास गृह, कण्वाश्रम (पौड़ी)	32
9–	पर्यटक आवास गृह, गौरीकुण्ड(रूद्रप्रयाग)	30
10–	होटल हिमलोक, केदारनाथ (रूद्रप्रयाग)	36
11–	होटल हिमलोक, केदारनाथ (रूद्रप्रयाग)	10
12–	यात्री लॉज, बद्रीनाथ	30
13–	पर्यटक आवास गृह, घांघरिया (चमोली)	40
14–	होटल देवलोक, बद्रीनाथ (चमोली)	84
15–	यात्री लॉज, जोशीमठ (चमोली)	74
16–	यात्री लॉज नन्द्रप्रयाग (चमोली)	30
17–	यात्री लॉज, कर्णप्रयाग (चमोली)	38
18–	पर्यटक आवास गृह, ग्वालदम (चमोली)	26
19–	पर्यटक आवास गृह, रूद्रप्रयाग	63
20–	पर्यटक आवास गृह, गुप्तकाशी (चमोली)	44
21–	पर्यटक आवास गृह, मुण्डोली (चमोली)	12
22–	पर्यटक आवास गृह, वाण (चमोली)	12
23–	पर्यटक आवास गृह, पीपलकोटी (चमोली)	50
24–	यात्री लॉज, मुनिकीरेती (टिहरी गढवाल)	148
25–	पर्यटक आवास गृह, चन्द्रनगर (रूद्रप्रयाग)	24
26–	पर्यटक आवास गृह, उत्तरकाशी	60
27–	यात्री लॉज, उत्तरकाशी	60
28–	यात्री छादक प्रतीक्षालय, लंका (उत्तरकाशी)	100
29–	पर्यटक आवास गृह, गंगोत्री (उत्तरकाशी)	62
30–	यात्री लॉज, भैरवघाटी (उत्तरकाशी)	32
31–	यात्री लॉज, स्यानाचट्टी (उत्तरकाशी)	18
32–	यात्री लॉज बडकोट (उत्तरकाशी)	44
33–	यात्री लॉज, जानकीचट्टी (उत्तरकाशी)	78
34–	पर्यटक आवास गृह, चम्बा (टिहरी)	20
35–	पर्यटक आवास गृह, धनौल्टी (टिहरी)	50
36–	पर्यटक आवास गृह, आराकोट (उत्तरकाशी)	6
37–	पर्यटक आवास गृह, भोजवासा (उत्तरकाशी)	20
38–	पर्यटक आवास गृह, हनुमानचट्टी (उत्तरकाशी)	30
39–	पर्यटक आवास गृह, सहस्त्रधारा (देहरादून)	4
40–	पर्यटक आवास गृह, डाकपत्थर (देहरादून)	32
41–	होटल द्रोण, देहरादून	202
42–	पर्यटक आवास गृह, मसूरी (देहरादून)	78
43–	पर्यटक आवास गृह, गोचर (चमोली)	30
44–	पर्यटक आवास गृह, लैंसडाउन (पौडी)	20
45–	पर्यटक आवास गृह, चोपता (चमोली)	28
46–	एफ0आर0पी0 हट्स, केदारनाथ (रूद्रप्रयाग)	12
47–	एफ0आर0पी0 हट्स सोनप्रयाग, (रूद्रप्रयाग)	28
48–	पर्यटक आवास गृह, औली (चमोली)	74

49–	फाईवर ग्लास काटेज सुनील (चमोली)	10
50–	पर्यटक आवास गृह, घुत्तू (टिहरी)	20
51–	पर्यटक आवास गृह, रूद्रप्रयोग	40
52–	पर्यटक आवास गृह, गोपेश्वर (चमोली)	24
53–	पर्यटक आवास गृह, पुरोला (उत्तरकाशी)	20
54–	पर्यटक आवास गृह, खिर्सू (पौड़ी)	20
55–	पर्यटक आवास गृह, रामबाडा (रूद्रप्रयाग)	20
56–	पर्यटक आवास गृह, श्रीकोट (पौडी)	52
57–	पर्यटक आवास गृह, हर्षिल (उत्तरकाशी)	30
58–	पर्यटक आवास गृह, जोशीमठ (चमोली)	74
59–	पर्यटक आवास गृह, गंगी (टिहरी)	20
60–	पर्यटक आवास गृह, रीह (टिहरी)	20
61–	पर्यटक आवास गृह, सौड (उत्तरकाशी)	20
62–	पर्यटक आवास गृह, ओसला (उत्तरकाशी)	20
63–	मोटेल, चिनियालीसौड, (उत्तरकाशी)	4
64–	पर्यटक आवास गृह, केदारनाथ, (रूद्रप्रयाग)	52
65–	पर्यटक आवास गृह, गंगोत्री, (उत्तरकाशी)	20
66–	मोटेल, भानियावाला (देहरादून)	4
67–	पर्यटक आवास गृह, ऋषिकेश, (देहरादून)	200
68–	पर्यटक आवास गृह, हरकीदून, (उत्तरकाशी)	20
69–	मोटेल, आगराखाल (टिहरी)	4
70–	मार्गीय सुविधा, डामटा (उत्तरकाशी)	4
71–	यात्री निवास, बद्रीनाथ (चमोली)	500
72–	नोडल तीर्थ केन्द्र, चन्द्रनगर (रूद्रप्रयाग)	8
73–	पर्यटक आवास गृह, मुनिकीरेती का विस्तार, (टिहरी)	50
74–	पर्यटक आवास गृह, मुनिकीरेती, शीशमझाडी (टिहरी)	80
75–	राही मोटेल, हरिद्वार	40
76–	पर्यटक आवास गृह, पिरान कलियर	12
77–	एफ0आर0पी0 हट्स, यमुनोत्री (उत्तरकाशी)	20
78–	पर्यटक आवास गृह, नौटी	20
79–	पर्यटक आवास गृह, जखोली	20
80–	एफ0आर0पी0 हट्स, तिलवाड़ा	20
81–	एफ0आर0पी0 हट्स केदारनाथ	20
82–	एफ0आर0पी0 हट्स हेलंग	20
83–	एफ0आर0पी0 हट्स रैथल	20
84–	एफ0आर0पी0 हट्स गरूड़चट्टी	20
85–	एफ0आर0पी0 हट्स सोनप्रयाग	20
86–	एफ0आर0पी0 हट्स रामबाड़ा	20
87–	जनता यात्रा निवास काल्दूबगड़	92
88–	पर्यटक आवास गृह, नई टिहरी	30
89–	जनता यात्री निवास, ज्ञानसू	100

90–	जनता यात्री निवास, चिन्यालीसौड़	50
91–	रैन बसेरा पीपलकोटी	100
92–	पर्यटक आवास गृह, वार्सू	20
93–	यात्री निवास, बद्रीनाथ	
94–	एफ0आर0पी0 हट यमुनोत्री (फूलचट्टी)	450
95–	एफ0आर0पी0 हट फूलचट्टी	20
96–	एफ0आर0पी0 हट गरूडचट्टी (रामपुर)	20
97–	एफ0आर0पी0 हट सोनप्रयाग (रामपुर)	20
98–	एफ0आर0पी0 हट रामबाड़ा (रामपुर)	20
99–	एफ0आर0पी0 हट पाण्डुकेश्वर	20
100–	एफ0आर0पी0 हट बिन्सर (लैंसडाउन)	04
101–	जनता यात्री निवास भटवाड़ी	80
102–	जनता यात्री निवास बड़कोट	60
103–	जनता यात्री निवास सोनप्रयाग	50
104–	जनता यात्री निवास जानकीचट्टी	40
105–	पर्यटक आवास गृह यमकेश्वर	20
106–	पर्यटक आवास गृह गैरसैंण	40
107–	पर्यटक आवास गृह हनोल	20
योग – कुल इकाईयां 107		5060
कुल योग – 193 इकाईयां		8222

संख्या– 2870/28–3–1(67)/76

प्रेषक,

गोपाल दास, मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पर्वतीय विकास अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर 80

विषय :–पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विभाग के पर्यटक विश्राम गृहों की पर्वतीय क्षेत्र के मण्डलीय विकास निगमों की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 11040/6–11–1–निर्माण–80 दिनांक 6–6–1980 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्नक में उल्लिखित पर्यटन विभाग के पर्यटक विश्राम गृहों को पर्यटन विभाग को दिनांक 31 मार्च, 1981 तक निम्नलिखित शर्तों पर क्रमशः गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून तथा कुमायूं मण्डल विकास निगम नैनीताल को लीज पर दिये आने की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– भवन लीज पर दिये जाने के बावजूद राजकीय सम्पत्ति रहेगी।

2– निगमों द्वारा शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत लीज रेन्ट के रूप में शासन को देय होगा। निगम द्वारा इनका लेखा जोखा अलग रखा जायेगा।

3– भवनों तथा इससे सम्बन्धित समस्त स्थल के विकास तथा रख रखाव निगम द्वारा किया जायेगा।

4– भवनों की साज–सज्जा निगम द्वारा की जायेगी तथा ऐसे आवासगृह जिनकी साज–सज्जा शासन द्वारा करा दी गयी है, उसकी धनराशि अंशपूंजी के रूप में निगमों की हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

5– भवनों को सुसज्जित का उत्तरदायित्व निगमों का होगा तथा मरम्मत आदि का कार्य सम्बन्धित निगम करेंगे।

6– ये भवन पर्यटन विभाग द्वारा हस्तान्तरण की तिथि से लीज पर माने जायेंगे तथा पर्यटन विभाग दोनों विकास निगमों से लीज डीड भरवाने का कार्य करेंगे।

7– मण्डलीय विकास निगमों से प्राप्त लीज रेण्ट को प्राप्ति लेखा–शीर्षक 139–पर्यटन–क– किराया तथा कैटरिंग की प्राप्तियों के नामे जमा किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–7/1813/दस–80 दिनांक 18.12.80 में प्राप्ति सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह0/–
(गोपाल दास/मेहरोत्रा)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2870/1/28–3–(67)76

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2– सचिव, पर्यटन विभाग।

3– निजी सचिव, राज्यमंत्री जी, पर्वतीय विकास विभाग।

4– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

5– समस्त जिलाधिकारी पर्वतीय क्षेत्र।

6– समस्त जिलाधिकारी पर्वतीय क्षेत्र।

7– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्र.क्षे.) स.नि. विभग लखनऊ।

8– प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून।

9– प्रबन्ध निदेशक कुमांउ मण्डल विकास निगम लि. नैनीताल।

10– पर्यटन विभाग के पर्वतीय क्षेत्र के समस्त सहायक निदेशक पर्यटन एवं क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।

11– पर्वतीय विकास अनुभाग–6/पर्यटन अनुभाग/वित्त व्यय नियंत्रण (अनुभाग–7)

आज्ञा से,

ह0/–
(भोपाल दास मेहरोत्रा)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक –1

पर्यटन भवन को 1, अप्रैल 1980 से 31 मार्च, 1981 तक लीज पर गढ़वाल मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड देहरादून को दिये गये हैं:–

जिले का नाम	पर्यटक भवनों के नाम/स्टेशन	शैयाओं की संख्या
1– चमोली	1– पर्यटक होटल देवलोक बद्रीनाथ	20
	2– पर्यटक होटल हिमलोक केदारनाथ	10
	3– यात्री विश्राम गृह नन्दप्रयाग	4
	4– यात्री विश्रामगृह ग्वालदम	4
	5– यात्री विश्रामगृह बद्रीनाथ	72
	6– यात्री विश्रामगृह केदारनाथ	72
	7– यात्री विश्रामगृह जोशीमठ	72
	8– यात्री विश्रामगृह कर्णप्रयाग	72
	9– यात्री विश्रामगृह गौरीकुण्ड	72
	10– पर्यटक विश्रामगृह देवप्रयाग	44
	11– पर्यटक विश्रामगृह धंधरिया	8
	12– यात्री विश्रामगृह उत्तरकाशी	100
2– उत्तरकाशी	13– पर्यटक विश्रामगृह बड़कों	4
	14– यात्री विश्रामगृह उत्तरकाशी	16
	15– यात्री विश्रामगृह चिन्यावली सौर	50
	16– यात्री विश्रामगृह भौरोचारी	100
	17– यात्री विश्रामगृह गंगोत्री	56
	18– यात्री विश्रामगृह बड़कोट	100
	19– यात्री विश्रामगृह सयाखाशट्टी	50
	20– यात्री विश्रामगृह दीफ	50
	21– यात्री विश्रामगृह लंका (प्रतीक्षागृह)	100
	22– पर्यटन विश्रामगृह गंगोत्री	8
3– पौड़ी गढ़वाल	23– पर्यटन विश्रामगृह श्रीनगर (पूर्व सेनिर्मित)	100
	24– पर्यटन विश्रामगृह श्रीनगर में निर्मित डीलक्स शूटस	8
	25– यात्री विश्रामगृह श्रीनगर (परिवर्तन एवं परिवर्तन सहित)	100
4– टिहरी गढ़वाल	26– पर्यटक आवासगृह मुनिकीरेती	148

नोटः– पर्यटक विश्रामगृह गंगोत्री क्षति ग्रस्त हो जाने के पक्षफल स्वरूप शासन द्वारा गंगोत्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करते हेतु पर्यटन विभाग द्वारा जो योजना कार्यान्यन की गयी है, उसकी देखरेख तथा रख रखाव गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

ह0/–

(सरला साहनी)
संयुक्त सचिव,

संख्या – 972/28–3–1(26)/76

प्रेषक,

कु0 सरला साहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
पर्यटक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 30 जून, 1980

विषय :–पर्वतीय क्षेत्र के शासन पर्यटक विश्रामगृह है तथा यात्री विश्राम गृहों का पर्वतीय क्षेत्र में मण्डलीय विकास निगमों को लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 3864/28–3–1(26)/78 दिनांक 21.9.79 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, संलग्न सूची (1) एवं (2) में उल्लिखित पर्यटन विभाग के पर्यटन विश्राम गृहों तथा यात्री विश्रामालयों के भवनों को 31 मार्च, 1981 तक निम्नलिखित शर्तों पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम नैनीताल को लीज पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– प्रश्नगत भवन लीज पर दिये जाने के उपरान्त भी शासन की सम्पत्ति बने रहेंगे।

2– मण्डलीय विकास निगम इन भवनों से हुये शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत भाग लीज रेन्ट के रूप में शासन को देगें। इसका लेखा जोखाः पैकेज टुअर्स आदि से होने वाली आय को सम्मलित करते हुये निगमों द्वारा अलग से रखा जायेगा।

3– प्रश्नगत भवनों की मरम्मत तथा सम्भव का उत्तरदायित्व निगमों निगमों का होगा। पर्यटन विभाग द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

4– मण्डलीय आयुक्तों के आदेश पर इन भवनों में वी0आई0पी0 या विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कमरों/सूरूस का आवंटन मण्डलीय विकास निगमों को करना पड़ेगा जिसके लिये निगमों को यथा समय समुचित नोटिस देना होगा। नोटिस प्राप्त न होने की दशा में निगमों द्वारा आवंटन करने में बाधा हो सकती है। सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त जिन भवनों को जिन व्यक्तियों को आवंटित करेंगे वे व्यक्ति उन कमरों/सूद आदि का किराया नियमों के निर्धारित दरों पर सीधे निगमों को ही देंगे।

5– लीज पर दिये जाने वाले भवनों के फर्नीचर इत्यादि की अवमुल्य धनराशि .....

6– इस भवनों का उपयोग केवल पर्यटको/सैलानियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हेतु ही किया जायेगा।

2– मुझे यह भी कहना है कि उपरोक्त शर्तों के अधीन लीज डीड का आलेखन कर शासनादेश संख्या (9) साल जी सी/182/75 दिनांक 1, अप्रैल, 1976 में दिये गये निर्देशानुसार निगमों द्वारा कन्वेयसिंग फीस जमाकर लीज डीड को व्याय विभाग द्वारा निरीक्षण कर आपके द्वारा निष्पादित किया जायेगा यह कार्यवाही एक मास में पूर्ण कर ली जाय।

3– मण्डलीय विकास निगमों से प्राप्त लीज रेण्ट को प्राप्ति लेख शीर्षक '139–पर्यटक किराया तथा कैटरिंग की प्राप्तियां के आगे जमा किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–7/938/दस–8 दिनांक 12.06.80 में प्राप्त सहमति के जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह0/–
(सरला सहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 972(1)/8–3–(26)/78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2– सचिव/पर्यटन, विभाग/वित्त, विभाग/वन, विभाग/सार्वजनिक, निर्माण विभाग राजस्व विभाग।

3– आयुक्त कुमायुं मण्डल नैनीताल।

4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।

5– समस्त जिलाधिकारी पर्वतीय क्षेत्र

6– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ।

7– अतिरिक्त मुख्य आरण्यपाल (नियोजन) उत्तर प्रदेश लखनऊ।

8– अतिरिक्त मुख्य आरण्यपाल गढ़वाल वृत्त देहरादून/कुमायूं वृत्त/नैनीताल

9– महानिदेशक भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय दिल्ली।

10– प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास राजपुर रोड देहरादून।

11– प्रबन्ध निदेशक कुमायूं मण्डल विकास निगम नैनीताल।

12– उपनिदेशक पर्यटन, (मसूरी) देहरादून/नैनीताल।

13– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, देहरादून, पौडी, नैनीताल।

15– निदेशक सूचना एवं जन संपर्क उत्तर प्रदेश लखनऊ।

16– कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति बद्रीनाथ धाम, चमोलीं

17– पर्वतीय विकास अनुभाग–4, विकास अनुभाग–66/प्रोटोकल अनुभाग/वित्त। व्यय नियंत्रण अनुभाग–7,/ पर्यटन अनुभाग/सार्वजनिक उद्योग ब्योरो अनुभाग–1/2

आज्ञा से

ह0/–
(सरला साहनी)
संयुक्त सचिव